

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला, श्रीगंगानगर

गुरबचन सिंह बनाम जसवन्त सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए नम्बर 280 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/398

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.09.2023	<p>वादी गुरबचन सिंह पुत्र सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेआम खास सतपाल कौर पत्नी सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.10.2023 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर</p>	
9/10/23	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी की तलबी प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्तु इन्तजार तलबी दिनांक 13/12/23 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
13/12/23	<p>अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 24/12/23 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
24/12/24	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 RTA नोटिस किया। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल वकत हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	<p>Note press <i>(Signature)</i> 24/12/24</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर